भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1867

11.02.2026 को उत्तर देने के लिए

पैमाना वेब पोर्टल

1867. श्री कृपानाथ मल्लाहः

श्रीमती अनीता शुभदर्शिनीः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'राष्ट्र निर्माण के लिए परियोजना मूल्यांकन, अवसंरचना निगरानी और विश्लेषण' (पैमाना) वेब पोर्टल के कार्यान्वयन की इसके आरंभ के बाद से वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या 'पैमाना' ने पिछले 'ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली' (ओसीएमएस) ढांचे की तुलना में परियोजना निगरानी की समयबद्धता, सटीकता, वास्तविक समय के डेटा और विश्लेषणात्मक गहनता में सुधार किया है;

(ग) अब तक इस पोर्टल पर शामिल किए गए मंत्रालयों या विभागों का ब्यौरा क्या है और अतिरिक्त हितधारकों तथा परियोजनाओं को शामिल करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) 'पैमाना' के तहत 'एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस' (एपीआई) एकीकरण, क्षेत्रीय कवरेज और उन्नत विश्लेषण क्षमताओं का और अधिक विस्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मॉस्पी) को 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली चल रही केंद्रीय क्षेत्र अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति की निगरानी करने का अधिदेश है।मॉस्पी ने पूर्ववर्ती ओसीएमएस -2006 (ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली) के स्थान पर एक नई वेब निगरानी प्रणाली विकसित की है जिसे पैमाना "राष्ट्र निर्माण के लिए परियोजना मूल्यांकन अवसंरचना निगरानी और विश्लेषण" कहा जाता है, जिसका आधिकारिक शुभारंभ 25 सितंबर, 2025 को हुआ था।"एक डेटा एक प्रविष्टि" के सिद्धांत के अनुरूप, पैमाना पोर्टल को डीपीआईआईटी (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग) के आईपीएमपी (एकीकृत परियोजना निगरानी पोर्टल) के साथ एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसस) के माध्यम से एकीकृत किया गया है, जिससे यह केंद्रीय

मंत्रालयों/विभागों/परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा रिपोर्ट किए गए डेटा को स्वचालित रूप से प्राप्त कर सकता है।

तदनुसार, पैमाना पोर्टल के माध्यम से वेब-जनित फ्लैश रिपोर्ट जुलाई 2025 से प्रकाशित की जा रही है और यह https://ipm.mospi.gov.in/ReportPage पर उपलब्ध है।

(ख) से (घ): दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार, 150 करोड़ रुपये या उससे अधिक परियोजना लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाएं (जो केंद्रीय सहायता प्राप्त हैं या केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की निगरानी में हैं) 17 मंत्रालयों/विभागों में फैली हुई हैं।इनमें सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय; विद्युत मंत्रालय; नागरिक उड्डयन मंत्रालय; पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय; दूरसंचार विभाग; कोयला मंत्रालय; रेल मंत्रालय; इस्पात मंत्रालय; जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन विभाग; खान मंत्रालय; आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय;पोत्त, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय; उच्च शिक्षा विभाग; स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय; और उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग शामिल हैं।इसके अतिरिक्त, खेल विभाग और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भी हाल ही में शामिल किया गया है।

दिसंबर 2025 तक की स्थिति के अनुसार, पैमाना में देश भर में 1,392 परियोजनाओं की स्थिति दर्ज है, जिनका कार्यान्वयन 17 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जा रहा है, जिनकी मूल लागत ₹29.68 लाख करोड़ और संचयी व्यय ₹19.01 लाख करोड़ है।संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यान्वयन एजेंसियां नियमित रूप से आईपीएमपी पर परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति को अपडेट करती हैं, जो आगे के विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करने के लिए एपीआई के माध्यम से पैमाना को भेजी जाती है।इस एकीकरण से मैन्युअल प्रविष्टि में काफी कमी आई है, सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं कोयला मंत्रालय से संबंधित लगभग 60 प्रतिशत परियोजनाएं पैमाना पर स्वचालित रूप से अपडेट हो जाती हैं।

यह पोर्टल राष्ट्रीय अवसंरचना विकास के लिए एक केंद्रीकृत डेटा भंडार के रूप में कार्य करता है और एक क्लिक में वेब-जनित विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार करने की सुविधा प्रदान करता है, जो डेटा की सटीकता और परिचालन दक्षता में योगदान देता है।इसके अतिरिक्त, रिपोर्टों में सुधार, इनपुट प्रपत्रों को सरल बनाने और प्रौद्योगिकी-आधारित निगरानी के लिए उन्नत विश्लेषण प्रदान करने हेतु सुधार कार्य प्रगति पर हैं। अतिरिक्त हितधारकों और परियोजनाओं को शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं, जिससे परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि होने की आशा है।मासिक समीक्षा बैठकों और अन्य संचार साधनों के माध्यम से हितधारकों के साथ नियमित समन्वय साक्ष्य-आधारित निगरानी को सुदृढ़ करता है।

*****